प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ दिनांक 27 नवम्बर , 2019***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अमर सिंह यादव उर्फ पप्पू पुत्र श्री राजाराम, निवासी जिला-सीतापुर की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-24538/प्रोबेशन-3/फार्म-ए (एम-26.06.2019) दिनांक-08.08.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अमर सिंह यादव उर्फ पप्पू पुत्र श्री राजाराम, जो-दलेलनगर, मजरा-राजागांव थाना-मछरेहटा, जनपद-सीतापुर का रहने वाला है। बंदी ने दिनांक 31.07.2003 को समय लगभग 12.00 बजे अपने 03 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमंचे से गोली मारकर गुड्डू नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-178,179/2004 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 के अन्तर्गत अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं0-06 सीतापुर के आदेश दिनांक 05.07.2006 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया। बंदी द्वारा दिनांक 12.05.2019 तक 15 वर्ष 09 माह 07 दिन की अपरिहार सजा तथा 20 वर्ष 00 माह 19 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण संतोषजनक है। जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर की अध्यक्षता में सम्पन्न समिति की बैठक दिनांक 16.05.2018 में जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बंदी के अपराध की प्रकृति, पुलिस रिपोर्ट नकारात्मक होने के कारण समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। तथा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बंदी के भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, जमीनी विवाद के कारण घटना घटित होने, समयपूर्व रिहाई से कोई अप्रिय घटना घटित हो सकती है, का अंकन करते हुए पुलिस अधीक्षक द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। जिला मजिस्ट्रेट सीतापुर ने बंदी का अभिभावक उपयुक्त होने की आख्या अंकित की गयी है, किन्तु बंदी की समयपूर्व मुक्ति की **संस्तुति नहीं** की है।

बोर्ड के सदस्यों का अभिमत है कि बंदी ने दिनांक 31.07.2003 को समय लगभग 12.00 बजे अपने 03 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमंचे से गोली मारकर गुड्डू नामक व्यक्ति की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बंदी के भविष्य में अपराध करने का

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अवसर होने, जमीनी विवाद के कारण घटना घटित होने के कारण समयपूर्व रिहाई से कोई अप्रियअवसर होने, जमीनी विवाद के कारण घटना घटित होने के कारण समयपूर्व रिहाई से कोई अप्रिय घटना घटित हो सकती है, का अंकन पुलिस अधीक्षक, द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी अमर सिंह यादव उर्फ पप्पू पुत्र श्री राजाराम को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की **संस्तुति नहीं की** गयी है।

3- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी अमर सिंह यादव उर्फ पप्पू (बन्दी संख्या-42447) पुत्र श्री राजाराम, निवासी जनपद-सीतापुर के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

संख्या-164/2019/2202(1)/22-2-2019 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर ।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली ।

3- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।

4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या-164/2019/2202/22-2-2019-17(947)/2019
दिनांक 27 नवम्बर, 2019 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अमर सिंह यादव उर्फ पप्पू पुत्र श्री राजाराम, जो-दलेलनगर, मजरा-राजागांव थाना-मछरेहटा, जनपद-सीतापुर का रहने वाला है। बंदी ने दिनांक 31.07.2003 को समय लगभग 12.00 बजे अपने 03 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमंचे से गोली मारकर गुडडू नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-178,179/2004 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 के अन्तर्गत अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं0-06 सीतापुर के आदेश दिनांक 05.07.2006 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया। बंदी द्वारा दिनांक 12.05.2019 तक 15 वर्ष 09 माह 07 दिन की अपरिहार सजा तथा 20 वर्ष 00 माह 19 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण संतोषजनक है। जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर की अध्यक्षता में सम्पन्न समिति की बैठक दिनांक 16.05.2018 में जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बंदी के अपराध की प्रकृति, पुलिस रिपोर्ट नकारात्मक होने के कारण समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। तथा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बंदी के भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, जमीनी विवाद के कारण घटना घटित होने, समयपूर्व रिहाई से कोई अप्रिय घटना घटित हो सकती है, का अंकन करते हुए पुलिस अधीक्षक द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। जिला मजिस्ट्रेट सीतापुर ने बंदी का अभिभावक उपयुक्त होने की आख्या अंकित की गयी है, किन्तु बंदी की समयपूर्व मुक्ति की **संस्तुति नहीं** की है।

बोर्ड के सदस्यों का अभिमत है कि बंदी ने दिनांक 31.07.2003 को समय लगभग 12.00 बजे अपने 03 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमंचे से गोली मारकर गुडडू नामक व्यक्ति की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बंदी के भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, जमीनी विवाद के कारण घटना घटित होने के कारण समयपूर्व रिहाई से कोई अप्रिय घटना घटित हो सकती है, का अंकन पुलिस अधीक्षक, द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी अमर सिंह यादव उर्फ पप्पू पुत्र श्री राजाराम को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की **संस्तुति नहीं की** गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बंदी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in